

सं. एफ 2(32)-बी(डी)/2014

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
आर्थिक कार्य विभाग  
बजट प्रभाग

\*\*\*\*\*

नई दिल्ली, दिनांक 30 जुलाई, 2014

कार्यालय जापन

विषय: अनुदानों की मांगें, 2014-15.

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्ष 2014-15 के लिए अनुदानों की मांगों को अंतिम माना जाए क्योंकि इन्हें लोक सभा द्वारा बिना कोई कटौती किए स्वीकृति दे दी गई है और संबंधित विनियोग विधेयक पर 28 जुलाई, 2014 को राष्ट्रपति की मंजूरी भी प्राप्त हो गई है। तदनुसृत अधिनियम को वर्ष 2014 के अधिनियम सं. 24 के रूप में 28 जुलाई, 2014 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खण्ड- I में प्रकाशित किया गया है।



(एच.के. श्रीवास्तव)

निदेशक (बजट)

सेवा में,

1. सभी मंत्रालयों/विभागों के वित्त सलाहकार।
2. सभी मंत्रालयों/विभागों के मुख्य लेखा नियंत्रक/ लेखा नियंत्रक।
3. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक।
4. महालेखा नियंत्रक।
5. महानियंत्रक, रक्षा लेखा।